फाइल नं0-71-3002(002)/26/2025-03

76/2026/I/1277939/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत में विभिन्न निर्माण कार्यो के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/निर्माण/2025-26/590, दिनॉक 13.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत में निम्नलिखित कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 4210-03-105-11-18-स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख निम्न विवरणानुसार अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना का नाम	तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	मेडिकल कालेज की पहुंच मार्ग के दोनो ओर बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	43.23	43.23
2	चिकित्सा (पुरूष) में एस0टी0पी0 एवं ई0टी0पी0 की स्थापना	197.69	100.00
3	चिकित्सालय में बाउण्ड्री वॉल	76.34	76.34
4	चिकित्सालय में सड़क एवं ड्रेनेज	439.91	280.43
		योग-	500.00

3- उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

1. सुसंगत नियमों एवं प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रकिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्ण कार्य एवं आडिट कराये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
2. प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन ही कार्यवाही की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4. प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
5. प्रायोजना की लागत के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत कार्य मदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा, इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति से पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 01 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण इकाई/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाए।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।
11. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
12. आगणन में प्राविधानित मदों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है।
13. क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इन कार्यो हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दरें प्राप्त कर निर्माण कार्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।
14. आगणन में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का प्राविधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
15. आगणन में 10 प्रतिशत सेन्टेज का प्राविधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
16. आगणन में लेबर सेस नियमानुसार देय होगा।
17. आगणन में विभागीय दक्षता हेतु 5 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
18. कार्यो में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पॉच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031051118 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्याः-उपरोक्त, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पीलीभीत।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।